ग्रामोदय से अभ्युदय मप्र का लक्ष्य प्राप्त करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारा देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हर तरफ विकास की बयार है. गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं की जानकारी और विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंच रहा है

गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी है. इनकी मजबूती में ही देश की मजबूती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनअभियान परिषद शासन और समाज के बीच एक सेतु की भूमिका में है. सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनअभियान परिषद का योगदान नि:संदेह सराहनीय है. उन्होंने कहा कि सबके समन्वित प्रयासों से हम ग्रामोदय से अभ्युदय मप्र का लक्ष्य प्राप्त करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मप्र जन अभियान परिषद द्वारा 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश में आयोजित किये जा रहे ग्राम विकास पखवाड़े के राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया.

ग्राम विकास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे

वरिष्ठ विधायक एवं भोपाल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि गांव ही हमारी आत्मा है और हमें मिलजुलकर इसे मजबूत बनाना है. स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन को दुनिया तक पहुंचाया. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास का सपना देखा है, हम सबको मिलजुलकर यह सपना पूरा करना है. सरकार सबके हित में काम कर रही है, उसे नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन अभियान परिषद् सरकार का सहयोगी बनकर, सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और ग्राम विकास के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने मदद करेंगे.

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश-विदेश के विद्वान करेंगे मंथन

उज्जैन, 12 जनवरी. मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में 15 जनवरी को श्री महाकाल महोत्सव के अंतर्गत शिव तत्व और श्री महाकाल पुरातिहास, साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी.

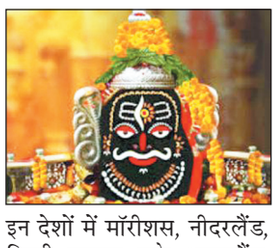

आधिकारिक जानकारी में बताया कि वीर भारत न्यास एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 14 से 18 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे श्री महाकाल महोत्सव में दस से अधिक देशों और भारत के बारह से अधिक राज्यों के विद्वान विषय के विविध पक्षों पर प्रकाश डालेंगे. इन देशों में मॉरीशस, नीदरलैंड, फिजी, यूएसए, यूके, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल आदि सम्मिलित हैं. संगोष्ठी में उत्तरप्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के विशेषज्ञ विद्वान सम्मिलित होंगे.

सरई तहसील में लोकायुक्त का ट्रैप, नायब तहसीलदार का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

नामांतरण के लिए मांगे थे 10 हजार, 3 हजार लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 12 जनवरी। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत लोकायुक्त संगठन ने जिले में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है।

महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देश पर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने सरई तहसील कार्यालय में सफल ट्रैप कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार के बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 12 जनवरी को की गई, जिसने तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

लोकायुक्त कार्यालय रीवा को 7 जनवरी को ग्राम धिरौली निवासी आवेदक रामनारायण शाह पिता गीताशरण शाह उम्र 30 वर्ष ने शिकायत दी थी। शिकायत में उल्लेख किया गया कि उन्होंने सितंबर 2024 में 23.75 डिसमिल भूमि क्रय की थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए तहसील कार्यालय सरई में आवेदन दिया गया था।

आरोप है कि नामांतरण कार्य के एवज में नायब तहसीलदार कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 बड़ा बाबू लखपति सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र जायसवाल द्वारा 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देशन में पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है और इसी क्रम में आरोपी देवेंद्र जायसवाल ने शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपए ले भी लिए थे। शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की रणनीति बनाई।

तहसील कार्यालय में दबिश, केस दर्ज

12 जनवरी को लोकायुक्त टीम ने नायब तहसीलदार कार्यालय तहसील सरई के अंदर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही सहायक ग्रेड-3 लखपति सिंह ने 3 हजार रुपए की रिश्वत राशि ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि दूसरा आरोपी देवेंद्र जायसवाल मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व ट्रैपकर्ता अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने किया। ट्रैप दल में निरीक्षक उपेंद्र दुबे, दो स्वतंत्र शासकीय गवाह एवं कुल 12 सदस्यीय टीम शामिल रही, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को विधिसम्मत तरीके से अंजाम दिया।

ऑनलाइन ठगी के अपनाए जा रहे नए-नए तरीके, लोग हो रहे शिकार

नवभारत न्यूज

रीवा, 12 जनवरी, डिजिटल के इस दौर में भले ही बहुत कुछ आसान हुआ है लेकिन लोगो की मुसीबते भी साइबर को लेकर बढ़ रही है. साइबर अपराधी लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर ठगी करने का तरीका बदल रहे है.

न्यूज, शादी का कार्ड, ऑफर, ईनाम जीतो वीडियो देखिए जैसे आकर्षक शीर्षकों के नाम पर भेजे जाने वाले लिंक लोगों की जिज्ञासा को हथियार बना रहे हैं. एक क्लिक की लापरवाही कई लोगों को कंगाल बना रही है. इसी के साथ रीवा जिले से मोबाइल हैकिंग और संदिग्ध लिंक भेजे जाने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसने साइबर सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है. जानकारी के अनुसार बजरंग नगर निवासी अर्पित पाण्डेय ने पुलिस को आवेदन देकर अपने मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने की आशंका जताई है.

अर्पित पाण्डेय का कहना है कि दिसंबर 2025 में उनके मोबाइल पर आए एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के बाद 75,000 की राशि कट गई थी जिसकी शिकायत वे पहले ही थाना स्तर पर दर्ज करा चुके हैं. इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ बल्कि और जटिल होता चला गया. शिकायतकर्ता के अनुसार 10 जनवरी 2026 से उनके मोबाइल नंबर से अपने आप शादी के कार्ड से संबंधित संदिग्ध लिंक अलग अलग लोगों को भेजे जा रहे हैं. इन लिंक के कारण उन्हें लगातार फोन कॉल, सवाल जवाब और अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल हैक कर दुरूपयोग किया जा रहा है. जिसकी शिकायत साइबर सेल में की गई है.

अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे

साइबर विशेषज्ञ बीरेंद्र पटेल का सुझाव है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें बैंक या केवाईसी के नाम से आए संदेशों पर बिल्कुल भरोसा न करें टू स्टेप वेरिफिकेशन अवश्य सक्रिय करें पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें और यदि मोबाइल में असामान्य गतिविधि दिखे तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. आज के समय में क्लिक भर की जिज्ञासा भी बहुत महंगी पड़ सकती है. इसलिए डिजिटल दुनिया में कदम रखते समय सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

गनियारी में ओवरलोड रेत के साथ हाईवा वाहन जब्त

खनिज विभाग की टीम ने जांच के दौरान की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 12 जनवरी। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी रामसुशील चौरसिया ने आज दिन सोमवार को गनियारी क्षेत्र में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की जांच की। जांच के

दौरान एक डंफर को अभिवहन पास में अंकित मात्रा से कहीं अधिक रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। डंफर ओवरलोड हालत में पाया गया, जो न केवल खनिज नियमों का उल्लंघन था, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ था। तत्काल कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने उक्त डंफर को जप्त कर पुलिस थाना कोतवाली बैढ़न में सुरक्षार्थ खड़ा कराया। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जप्त वाहन के विरुद्ध म.प्र. खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना, जप्ती और अन्य दंडात्मक प्रावधानों पर भी विचार किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत परिवहन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं है

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 12 जनवरी। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के अध्यक्ष अतुल कुमार खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आज दिन सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कन्या महाविद्यालय बैढ़न में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोरम तिवारी ने स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित होकर देश के विकास में सहयोग प्रदान करने का आवाह्न किया। श्री तिवारी ने कहा की स्वामी विवेकानन्द के विचार समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। न्यायाधीश ने बताया कि कानून का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय एवं समानता प्रदान करना है तथा मानव गरिमा की रक्षा करना है। हमारे देश का संविधान स्वामी विवेकानन्द के मानवतावादी दर्शन के पूर्णत: अनुरूप है। शिविर के माध्यम से महाविद्यालय की छात्राओं को नि:शुल्क विधिक सहायता, पॉक्सो अधिनियम, ट्रेफिक रुल्स, साइबर सुरक्षा आदि विषयों की विधिक जानकारी दी गई। शिविर में प्राचार्य एमयू सिद्दकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, विधायक प्रतिनिधि सुरेश गिरी, प्राध्यापक डॉ. उमाकान्त सिंह सहित समस्त प्राध्यापकगण एवं महाविद्यालय में अध्ययनर्त समस्त छात्राएं उपस्थित रहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह के पालन में 10 जनवरी को सांदिपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिर्रवाह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद ने विद्यार्थियों को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। इस शिविर में सचिव मनोरम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल रिछारिया, प्राचार्य कृष्ण कुमार द्विवेदी सहित कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

नहर में उतराता मिला बारहसिंगा का शव

रीवा, 12 जनवरी, शहर से सटे डिहिया गांव में नहर के पानी में बारहसिंगा का शव पानी में तैरता मिला है. नहर में बारहसिंगा का शव देख ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी. वही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर ग्रामीणों ने शव को नहर से बाहर निकाला है. दरअसल यह घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम डिहिया से गुजरने वाली नहर की है, जहां आज सुबह स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किसी अज्ञात जानवर का शव पानी में तैरता हुआ देखा. ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से जब जानवर की शव को बाहर निकाला तो वह शव किसी और का नहीं बल्कि बारहसिंगा का था. माना जा रहा है कि नहर में पानी पीते वक्त बारासिंघा गिरकर गहरे पानी में समा गया होगा. फिलहाल ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, जिसके द्वारा बारहसिंगा के मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा.

जल सुनवाई का आयोजन आज

सिंगरौली 12 जनवरी। म.प्र. शासन की मंशा अनुसार नगर निगम सिंगरौली द्वारा नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कल दिन मंगलवार 13 जनवरी को चूनकुमारी स्टेडियम, बैढ़न में प्रात: 10 बजे से आयोजित होगा। जल सुनवाई के दौरान आमजन की पेयजल आपूर्ति, नल कनेक्शन, जल दबाव, लीकेज सहित अन्य जल सम्बन्धित शिकायतों को प्राप्त कर उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में बैढ़न के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित रहेंगे, जो प्राप्त समस्त शिकायतों को सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नगरवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी जल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

नाम सुधार सूचना

मैं परविन्दर कौर (Parvindar Kaur) **पति श्री बलजीत सिंह** (Shri Baljeet Singh) **निवासी** Near Puruswani Dal Mil, Sindhi Camp, Teh,- Raghurajnagar, Distt, Satna (M.P.) 485001 **सर्व साधारण को सूचित करती हूं कि मेरे पासपोर्ट क्रं.** F2329666, **में त्रुटिवश गलत नाम परविन्दर कौर** (Parvinder Kaur) **अंकित है। 10वीं, आधार कार्ड - क्रमांक** 245673030434, **बैंक एकाउन्ट, पैन कार्ड में मेरा सहीं नाम परविन्दर कौर** (Parvindar Kaur) **अंकित है। अत: भविष्य में सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में सहीं नाम परविन्दर कौर**(Parvindar Kaur) **सहीं नाम से जाना, माना, पहचाना जाए।** सहीं नाम: (Parvindar Kaur), गलत नाम: (Parvinder Kaur)

निवेदक: परविन्दर कौर, निवासी Near Puruswani Dal Mil, Sindhi Camp, Teh,- Raghurajnagar, Distt, Satna (M.P.) 485001

दो दर्जन मरीजो को मिली नई नेत्र ज्योति

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जयंती सेवा सप्ताह के अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा सिंगरौली द्वारा मानव सेवा के उद्देश्य से द्वितीय चरण में 25 चिन्हित मोतियाबिंद मरीजों को मिश्रा पॉली क्लीनिक एवं नर्सिंग होम, बैढ़न में लाया गया, जहाँ सभी मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक कराकर लैंस प्रत्यारोपण किया गया।

उक्त सेवा कार्य के दौरान ठंड मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सभी लाभार्थी मरीजों को कंबल का वितरण भी किया गया। इस मानवीय पहल से जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार एवं आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सका। रेडक्रॉस जिला शाखा सिंगरौली द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत आगामी दिवसों में भी इसी प्रकार के नेत्र उपचार कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा सिंगरौली के चेयरमैन एसडी सिंह, सचिव डॉ. ओपी राय, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य डॉ. डीके मिश्रा, राजाराम केसरी, जितेन्द्र सिंह, विवेक कुमार त्रिपाठी, रेडक्रॉस सदस्य सतेंद्र पाण्डेय, बृजेश शुक्ला सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

रीवा जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित

रीवा, 12 जनवरी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने रीवा जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं. वर्ष 2026 के लिए मकर संक्रांति 14 जनवरी, भाई दूज 5 मार्च तथा महानवमी पर्व 19 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा. यह अवकाश सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में लागू होगा. कोषालय, उप कोषालय और बैंकों में स्थानीय अवकाश का आदेश लागू नहीं होगा.

बिजली लाइनों से दूर पतंग उड़ाने की अपील-भोपाल. मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन से अपील की है कि पतंगबाजी बिजली की लाइनों, ट्रांसफार्मरों और पोल से दूर करें. कंपनी ने कहा कि पतंग और उनके धागों के कारण बिजली लाइनों में फॉल्ट हो सकता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ-साथ हादसों का भी खतरा बना रहता है.

एनटीपीसी विंध्याचल में एचओपी XI ने 28 रनों से दी शिकस्त

एचओपी एवं जीएम टीमों के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मुकाबले का आयोजन

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 12 जनवरी। एनटीपीसी विंध्याचल में खेल परिषद के तत्वाधान में एनएच-3 मैदान में एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मुकाबले का आयोजन किया गया।

यह मुकाबला एचओपी एवं जीएम (ओ एण्ड एम) टीमों के बीच खेला गया, जिसमें विभागाध्यक्षों और युवा खिलाड़ियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। मैच ने यह संदेश दिया कि खेल मैदान पर सभी भूमिकाएँ एक समान होती हैं और टीमवर्क ही सबसे बड़ी शक्ति है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एचओपी ङ्गढ्ढ ने 15 ओवरों में 150 रनों का प्रतिस्पर्धी लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते

हुए जीएम (ओ एण्ड एम) ने शानदार संघर्ष किया, परंतु 122 रन ही बना सकी। इस प्रकार एचओपी ने मुकाबला अपने नाम किया। मैच के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें संजीब कुमार साहा परियोजना प्रमुख के साथ एजे राजकुमार महाप्रबंधक, एम सुरेश महाप्रबंधक तथा डॉ. बीके भराली, महाप्रबंधक शामिल थे। मैच उपरांत अपने संबोधन में संजीब कुमार साहा ने दैनिक जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ खेल संस्कृति को सुदृढ़ करती हैं तथा कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाकर विंध्याचल टाउनशिप को और अधिक जीवंत बनाती हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/49/भूमिहीन/2026 सिंगरौली दिनांक-12/01/26

प्रारंभिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/4209/2025/18-3, भोपाल दिनांक 17.11.2025 के निर्देशानुसार नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रान्तर्गत शासकीय भूमि पर निवासरत भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु दिनांक 20.11.2025 से 13.12.2025 तक सर्वेक्षित व्यक्तियों की सूची का एतद द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया जाकर दावा आपत्ति आमंत्रित किया जा रहा है।

यदि किसी व्यक्ति/संस्था का हक प्रभावित हो रहा हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर उपखण्ड कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियाँ विधिमान्य नहीं होंगी।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली दिनांक 12.01.2026

विज्ञापन

द्वितीय निविदा आमंत्रण

क्र./जिशिके/ईएण्डआर/2026/64 के अनुक्रम में भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम क्र./ एफ 9-20/2021/अ/-73 भोपाल दिनांक 13.01.2023 के अनुसार निविदा क्रमांक 2026_DEO_475042_1 दिनांक 11.01.2026 जिला सिंगरौली अंतर्गत तीनों विकासखण्डों की शासकीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 1 से 8 तक में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक का विकासखण्ड से विद्यालय तक परिवहन किया जाना है, इस सेवा हेतु निविदा MP TENDER PORTAL पर ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी http://mptenders.gov.in/ पर विजिट कर देखी जा सकती है। निविदा प्रकाशित करने का दिनांक 12.01.2026 तथा निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक 26.01.2026 है। निविदा खुलने का दिनांक 27.01.2026 निर्धारित किया गया है।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक / 84 / लो.नि.शा. / ई - निविदा / 2026 देवेन्द्रनगर दिनांक - 12/01/2026

चतुर्थ ई - निविदा आमंत्रण - सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं	निविदा आमंत्रण	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा क्रय करने की तिथि एवं अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UAD_475108_1	Const. of Shopping complex Block A at Sabji mandi (Self-Financed Scheme) 4th call	Time : 6 Months PAC Rs - 16873041	4th call	Tender Form: 12500.00 EMD: Rs. 84365.00	13.01.2026 10.30 AM To 28.01.2026 05.30 PM

नोट- 1- यह कार्य स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत किया जाना है दुकानों की नीलामी राशि प्राप्त होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।
नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देवेन्द्रनगर जिला - पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (भ / स) संभाग सतना (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 36 / 2025-26 सतना, दिनांक 07.01.2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर ई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्यपूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनुमानित	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWDR B_473514_1	उपसंभाग सतना अंतर्गत न्यायालय परिसर रामपुर बाघेलान मे दिव्यांगजन शौचालय का निर्माण कार्य।	द्वितीय	01 माह वर्षाकाल सहित	295299.00	6000.00	2000.00
2	2026_PWDR B_473515_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत न्यायालय परिसर नागौद मे दिव्यांगजन शौचालय का निर्माण कार्य.	द्वितीय	01 माह वर्षाकाल सहित	295321.00	6000.00	2000.00
3	2026_PWDR B_473517_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत न्यायालय परिसर उंचेहरा मे दिव्यांगजन शौचालय का निर्माण कार्य।	द्वितीय	01 माह वर्षा काल सहित	295321.00	6000.00	2000.00
4	2026_PWDR B_473518_1	उपसंभाग मझगंवा के अंतर्गत 1.अर्जुनपुर पहुच मार्ग लम्बाई 0.78 कि.मी. तथा महतैन किल्हौरा ब्रम्हकुंड मार्ग लम्बाई 1.00 कि.मी. में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य।	तृतीय	01 माह वर्षाकाल रहित	1653054.00	33061.08	2000.00
5	2026_PWDR B_473519_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत न्यायालय परिसर अमरपाटन के शासकीय आवासगृह क्र. आरबीई-73 में विशेष मरम्मत कार्य.	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	423020.00	8500.00	2000.00
6	2026_PWDR B_473520_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत न्यायालय परिसर अमरपाटन के शासकीय आवासगृह क्र. आरबीई - 67 में विशेष मरम्मत कार्य.	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	340918.00	6900.00	2000.00
		योग-			3302933.00		

उपरोक्त वेबसाइट में आनॅलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा आनॅलाइन बिड सबमीशन की अंतिम दिनांक 23.01.2026 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है। ई.एम.डी. केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी., एनएक्सर एच., शपथपत्र, बिड की रसीद एवं अन्य दस्तावेज केवल आनॅलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ / स)
संभाग सतना (म.प्र.)

G-24288/25